



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274078
CG-DL-E-04072026-274078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3392]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3392]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3527(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 753 और राष्ट्रीय राजमार्ग 543 गोंडिया शहर से रावनवाड़ी गांव (बिरसी हवाई अड्डा जंक्शन)के कोहमारा-गोरेगांव-पुलिस मुख्यालय (करंजा)-कलेक्टर कार्यालय चौक-बालाघाट टी प्वाइंट-रावनवाड़ी-राजेगांव खंड पर डिजाइन कि.मी.०.००० से कि.मी.१५.७८१ (राष्ट्रीय राजमार्ग 753 के मौजूदा कि.मी 39/720 से राष्ट्रीय राजमार्ग 543 मौजूदा कि.मी ८/४०० तक के भूखंड का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी, गोंदिया को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ७५३ और राष्ट्रीय राजमार्ग ५४३ के कोहमारा-गोरेगांव-पुलिस मुख्यालय (करंजा)-कलेक्टर कार्यालय चौक-बालाघाट टी प्वाइंट-रावनवाड़ी-राजेगांव खंड पर डिजाइन कि.मी.०.००० से कि.मी.१५.७८१ (राष्ट्रीय राजमार्ग ७५३ के मौजूदा कि.मी ३९/७२० से राष्ट्रीय राजमार्ग ५४३ मौजूदा कि.मी ८/४००)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: गोंदिया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोंदिया					
गांव का नाम: गोंदिया खुर्द					
1	124/1	निजी	अकृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
2	143/1/1	निजी	अकृषि	0.0645 (हेक्टेयर)	0.0645
3	143/2/1	निजी	अकृषि	0.1043 (हेक्टेयर)	0.1043
4	143/3/1	निजी	अकृषि	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
5	144/1	निजी	अकृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
6	158/1	निजी	अकृषि	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
7	160/1/1	निजी	अकृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
8	161/2/1, 161/2/1/A, 162/2/1	निजी	अकृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
9	237/1/A/1	निजी	अकृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02

10	238/1/B, 238/1K, 238/2/K, 238/2A, 238/3, 238/3/A, 238/3/B, 238/4/K, 238/4/KH, 238/4A, 238/5, 238/6/A/1, 238/6/A/2, 238/6/B, 238/7, 238/8, 238/9	निजी	अकृषि	0.191 (हेक्टेयर)	0.191
11	241/1/241/2	निजी	अकृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	241/7	निजी	अकृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
13	242/1/K	निजी	अकृषि	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
14	290/1, 290/1A, 290/2/291/4/5/A	निजी	अकृषि	0.0144 (हेक्टेयर)	0.0144
15	290/3/4	निजी	अकृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
16	291/3/K	निजी	अकृषि	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
17	292/1	निजी	अकृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
18	295/1/1/A, 295/1/A, 295/1E, 295/1U, 295/1K, 295/1F, 295/1B, 295/2/1	निजी	अकृषि	0.0439 (हेक्टेयर)	0.0439
19	296/1A/1	निजी	अकृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
Total					1.0647

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2022-23/07/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3527(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Gondia City to Rawanwadi Village (Birsi Airport Junction) from design km 0.000 to km 15.781 (existing km 39/720 of NH-753 to existing Km 8/400 of NH 543) on section from Kohmara- Goregaon- Police Headquarter (Karanja) - Collector Office Square - Balaghat T Point- Rawanwadi- Rajegaon maintenance, management and operation of NH-753 and NH-543 in District of Gondia in the state of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer, Gondia** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling NH-753 and NH-543 within the stretch of the land from Gondia City to Rawanwadi Village (Birsi Airport Junction) from design km 0.000 to km 15.781 (existing km 39/720 of NH-753 to existing Km 8/400 of NH 543) on section from Kohmara- Goregaon- Police Headquarter (Karanja) - Collector Office Square - Balaghat T Point- Rawanwadi- Rajegaon in the district of Gondia in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: GONDIA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gondia					
Village: Gondia Kh.					
1	124/1	Private	Non Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
2	143/1/1	Private	Non Agriculture	0.0645 (Hectare)	0.0645
3	143/2/1	Private	Non Agriculture	0.1043 (Hectare)	0.1043
4	143/3/1	Private	Non Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
5	144/1	Private	Non Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
6	158/1	Private	Non Agriculture	0.0016 (Hectare)	0.0016
7	160/1/1	Private	Non Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
8	161/2/1, 161/2/1/A, 162/2/1	Private	Non Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
9	237/1/A/1	Private	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02

10	238/1/B, 238/1K, 238/2/K, 238/2A, 238/3, 238/3/A, 238/3/B, 238/4/K, 238/4/KH, 238/4A, 238/5, 238/6/A/1, 238/6/A/2, 238/6/B, 238/7, 238/8, 238/9	Private	Non Agriculture	0.191 (Hectare)	0.191
11	241/1/241/2	Private	Non Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
12	241/7	Private	Non Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
13	242/1/K	Private	Non Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
14	290/1, 290/1A, 290/2/291/4/5/A	Private	Non Agriculture	0.0144 (Hectare)	0.0144
15	290/3/4	Private	Non Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
16	291/3/K	Private	Non Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
17	292/1	Private	Non Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
18	295/1/1/A, 295/1/A, 295/1E, 295/1U, 295/1K, 295/1F, 295/1B, 295/2/1	Private	Non Agriculture	0.0439 (Hectare)	0.0439
19	296/1A/1	Private	Non Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Total					1.0647

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/07/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director